<u>न्यायालयः—अमनदीप सिंह छाबड़ा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर,</u> जिला बालाघाट(म0प्र0)

<u>प्रकरण क्रमांक 124 / 15</u> <u>संस्थित दिनांक —11 / 02 / 15</u>

म0प्र0 राज्य द्वारा, थाना मलाजखण्ड़ जिला बालाघाट म0प्र0

..... अभियोगी

/ / विरूद्ध / /

दिनेश देशराज वल्द बालचंद देशराज उम्र 27 वर्ष नि—वार्ड नं.4 मोहगांव थाना मलाजखण्ड जिला बालाघाट म0प्र0

..... आरोपी

:<u>:निर्णय::</u> { दिनांक 17 / 01 / 2017 को घोषित}

- 1. अभियुक्त दिनेश के विरुद्ध भा0दं0सं0 की धारा 294, 354, 323, 506 भाग—दो, के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 27. 01.2015 को समय 06:00 बजे थाना मलाजखण्ड़ मोहगांव पुलिया के पास मेन रोड़ लोक स्थान पर परिवादी अंजना को अशलील शब्दों का उच्चारण कर उसे व दूसरों का क्षोभ कारित किया तथा अंजना की लज्जा भंग कारित करने के आशय से उसका हाथ पकड़कर उसे खीचतान कर उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया तथा हाथ मुक्कों से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की एवं उसे संत्रास करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 2. प्रकरण में बचाव पक्ष द्वारा परिवादी अंजना की मुलाहिजा रिपोर्ट को स्वीकृत किया गया है।
- 3. अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि घटना दिनांक को परिवादी अंजना द्वारा थाना मलाजखण्ड़ में लिखित आवेदन पेश किया गया कि आरोपी दिनेश ने उसके साथ पूर्व में भी अश्लील हरकत की थी जिसके बाद परिजन व गांव समाज के लोगों द्वारा समझाने पर माफी मांगी थी। दिनांक 28.01.2015 को पुनः आरोपी ने परिवादी के भाई को बाजार चौक मोहगांव में आकर बहन का रेप करने की धमकी दी। भाई के घर आकर बताने

पर रिपोर्ट करने थाना जाते समय रास्ते में आरोपी द्वारा परिवादी का हाथ पकड़कर खीचतान कर बेईज्जती की गयी एवं जान से मारने की धमकी दी गयी। शिकायत पर आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गयी। परिवादी का मुलाहिजा कराकर घटनास्थल का मौकानक्शा बनाया गया। गवाहों के कथन लेखबद्ध कर आरोपी को गिरफतार करने के पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

2

- 4. अभियुक्त ने निर्णय के चरण 01 में वर्णित आरोपों को अस्वीकार कर अपने परीक्षण अंतर्गत धारा 313 दं०प्र0सं० में यह प्रतिरक्षा ली है कि उसे पुरानी रंजिश वश झूटा फसाया गया है। कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश नहीं की है।
- 5. प्रकरण के निराकरण के लिए विचारणीय प्रश्न यह है कि :--
 - (1) क्या आरोपी ने दि.27/01/15 को समय शाम करीब 06:00 बजे थाना मलाजखण्ड अंतर्गत मोहगांव पुलिया के पास मेन रोड़ में लोक स्थान पर परिवादी अंजना को अश्लील शब्दों का उच्चारण कर उसे व दूसरों को क्षोभ कारित किया ?
 - (2) क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त परिवादी को लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला अथवा आपराधिक बल का प्रयोग किया ?
 - (3) क्या आरोपी ने उक्त घटना समय व स्थान पर परिवादी को स्वेच्छया उपहति कारित की ?
 - (4) क्या आरोपी ने उक्त घटना समय व स्थान पर परिवादी को संत्रास करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

ःसकारण निष्कर्षः

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1,2,3 तथा 4

साक्ष्य की पुनरावृति को रोकने तथा सुविधा हेतु उक्त सभी विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

6. परिवादी अंजना (अ.सा.1) का कथन है कि घटना लगभग एक वर्ष पूर्व की है। करीब दो वर्ष पूर्व तीज त्यौहार के समय वह सामान खरीदने जनरल स्टोर्स मोहगांव बस स्टेण्ड़ जा रही थी। आरोपी दिनेश कृषि उपज मण्ड़ी के पास बैठा हुआ था जो उसे देखकर हैलो डार्लिंग बुलाने लगा जिसके बाद जब वह घर आने लगी तो आरोपी ने अपनी बाईक से उसका पीछा किया। घर आकर उसने घटना की जानकारी अपनी मम्मी को दी थी जिसके संबंध में उसी दिन गांव के अन्य लोगों तथा आरोपी एवं उसके भाई के समक्ष

समझौता हुआ था। लगभग एक वर्ष के बाद उसका भाई शुभम बाजार चौक मोहगांव अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था उसी समय आरोपी दिनेश अपनी बाईक से आकर उसके भाई को गाली देने लगा तथा कहा कि तेरी बहन का रेप करूगां। उक्त बात घर आकर उसके भाई ने मम्मी को बताई। जिसके बाद वह और उसका भाई, मम्मी तथा अन्य लोग थाना रिपोर्ट करने जा रहे थे तो आरोपी दिनेश ने अपनी बाईक से पुल तक पीछा किया और उसे रोकने की कोशिश की। आरोपी उसे गंदी—गंदी गालियां दे रहा था और उसके साथ खीचातानी कर रहा था। जिसके बाद उसने मलाजखण्ड़ थाना जाकर घटना की लिखित शिकायत प्र.पी01 की थी। पुलिस ने घटनास्थल जाकर उसके बताये अनुसार मौकानक्शा प्र.पी02 बनाया था। उक्त दस्तावेजों के ए से ए भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। पुलिसवालों ने उसका मुलाहिजा कराया था। सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने स्वीकार किया है कि दिनेश ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी।

- 7. सोमवती (अ.सा.३) का कथन है कि दो वर्ष पूर्व तीज त्यौहार के समय उसकी बेटी अंजना बाजार चौक स्टोर्स जा रही थी। रास्ते में मंण्ड़ी के पास आरोपी दिनेश उसकी बेटी को हैलो डार्लिंग आकर बोलने लगा जिसके बाद उसकी बेटी घर वापस आ गयी और उक्त बात उसे बतायी, फिर अन्य व्यक्तियों के समक्ष उनका समझौता हुआ था। जिसमें आरोपी अपने भाई के साथ आया था। लगभग 4—5 माह पूर्व उसका बेटा शुभम बाजार चौक मोहगांव अपने दोस्तों के साथ दिन के करीब 11:30 बजे बैढा हुआ था तभी आरोपी दिनेश ने उसके बेटे को बोला कि तुम्हारी बहन का रेप करूंगा। उक्त बात आकर उसे बेटे ने बतायी। जिसके बाद वह अपने चाचा के लड़के के पास गयी और अन्य लोगों को जानकारी दी। लोगों ने उससे कहा कि आपको जैसा लगता है वहीं करो। उसके बाद शाम को छ:—सात बजे वह अपने चाचा के लड़के, पार्षद, बेटा तथा बेटी के साथ थाना में रिपोर्ट दर्ज कराने गयी। रास्ते में पुलिया के पास आरोपी दिनेश ने उसकी बेटी को रोकने की कोशिश की। सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने स्वीकार किया है कि आरोपी दिनेश हाथ पकड़कर अंजना से खीचतान कर रहा था।
- 8. शुभम (अ.सा.2) का कथन है कि घटना के समय वह अपने दोस्तों के साथ दिन के 11:00 बजे बाजार चौक मोहगांव में बैठा हुआ था तब आरोपी दिनेश आकर उससे झगड़ा करने लगा और कहने लगा कि तुम्हारी बहन का रेप कर दूंगा जिसके बाद घर आकर उसने मम्मी को उक्त बातें बतायीं। फिर वह दीदी, मामा, मम्मी तथा अन्य लोग रिपोर्ट लिखवाने पुलिस

थाना मलाजखण्ड़ गये। आरोपी दिनेश उनका पीछा करते हुये दारूभट्टी पुलिया तक गया और उसकी दीदी को पकड़ने की कोशिश करने लगा जिसके बाद दीदी लोगों ने थाने में जाकर रिपोर्ट की।

- 9. घटना की पुष्टि करते हुए कपूरदास (अ.सा.5) का कथन है कि वह नगरपालिका मोहगांव से अपने घर आ रह था। रास्ते में प्रार्थिया अंजना अपनी मां के साथ आयी और उससे कहने लगी कि आरोपी दिनेश ने उसे घर जाकर रेप करने की धमकी दी है, जिसकी रिपोर्ट करने हेतु थाने चलना है। जिसके बाद वह उनको लेकर मलाजखण्ड थाना जा रहा था कि रेंहगी चौराहे पर आरोपी आया और उसकी गाड़ी के सामने अपनी गाड़ी खड़ी कर अंजना को जबरदस्ती गाड़ी से उतार लिया और वहां पर उसके साथ गाली गलौच करने लगा जिसके बाद उसने आरोपी को समझाइस दी। फिर उसने प्रार्थिया और उसकी मां को लेकर मलाजखण्ड़ थाना जाकर रिपोर्ट दर्ज करायी।
- 10. राजू श्रीवास (अ.सा.6) का कथन है कि घटना के समय वह अपने घर पर था। तभी उसके छोटे भाई का फोन आया कि आरोपी दिनेश ने उसकी भांजी अंजना को गालियां दी है। जिसके बाद वह अंजना के घर पर पहुंचा जहां पर गांव के अन्य लोग भी थे जिनके द्वारा आरोपी को समझाइस दी गयी जिसके नहीं मानने पर वे लोग दो गाड़ियों मे मलाजखण्ड़ थाना में रिपोर्ट करने गये। वह अपनी बहन सोमवती को लेकर आगे चल रहा था। अंजना दूसरी गाड़ी में पार्षद कपूरचंद के साथ बैठी थी। थाना जाकर उसे प्रार्थिया अंजना ने बताया कि आरोपी दिनेश ने रास्ते में गाली गलौच कर उसके साथ खीचतान की थी। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।
- 11. सुनील श्रीवास (अ.सा.4) का कथन है कि घटना के समय वह मोहगांव स्थित अपनी दुकान बंद कर जा रहा था तब उसका भांजा शुभम आया जिसने बताया कि आरोपी दिनेश अंजना के साथ गाली गलौच कर रहा था। जिसके बाद वह अपने भाई राजू श्रीवास को लेकर अंजना के घर गया जहां पार्षद व गावं के अन्य लोगों के सामने उन लोगों ने आरोपी को समझाया था। पर वह नहीं माना जिसके बाद घरवाले थाने में रिपोर्ट करने गये थे।
- 12. सुलेखा मरकाम (अ.सा.७) का कथन है कि दिनांक 28.01.2015 को थाना मलाजखण्ड़ में परिवादी अंजना उर्फ खुमरी के लिखित आवेदन प्र. पी01 के आधार पर आरोपी दिनेश के विरुद्ध जांच उपरांत अपराध क्रमांक 9/15 की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी03 तैयार किया था जिसके ए से ए एवं बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही प्रार्थिया अंजना के

बताये अनुसार घटनास्थल जाकर मौकानक्शा प्र.पी02 तैयार किया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने घटना की आहत अंजना का मुलाहिजा फार्म प्र.पी04 भरकर शासकीय अस्पताल मोहगांव भिजवाया था। उक्त दिनांक को ही प्रार्थिया अंजना एवं गवाह सोमवती, शुभम, कपूरचंद, राजू, शिवरतन, अजय, सुनील के बयान उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। उक्त दिनांक को ही आरोपी दिनेश को गवाह गनपत और राहुल के समक्ष गिरफतार कर गिरफतारी पंचनामा प्र.पी05 तैयार किया था जिसके ए से ए भाग पर साक्षी के एवं बी से बी भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर हैं। विवेचना पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन तैयार किया जाकर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।

- 13. उपरोक्त साक्षीगण के कथनों से वर्तमान घटना की पूर्व घटना प्रमाणित होती है क्योंकि उक्त संबंध में सभी साक्ष्य अखण्ड़नीय रहे हैं। जहां तक वर्तमान घटना का प्रश्न है, धारा 354 भा.दं०सं० के अपराध हेतु स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग होना चाहिए। परिवादी अंजना (अ.सा.1) के अनुसार रिपोर्ट करने जाते समय आरोपी दिनेश ने अपनी बाईक से पुल तक पीछा कर उन्हें रोकने की कोशिश की और उसके साथ खीचतानी की, वह मोटरसाईकिल पर पीछे बैठी हुई थी। आरोपी हाथ से उसे पकड़कर खीचातान की कोशिश कर रहा था। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि आरोपी दिनेश उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वे लोग नहीं रूके और सीधे चले गये। सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने स्वीकार किया है कि आरोपी दिनेश रिपोर्ट करने मत जाओ बोल रहा था।
- 14. प्रथमतः उक्त साक्षी के कथन में कहीं भी अभियुक्त द्वारा लज्जा भंग करने का आशय दर्शित नहीं होता है क्योंकि उसने अभियुक्त द्वारा रिपोर्ट करने जाने से मना करने के लिए मात्र खीचतान करने की कोशिश के कथन किये हैं। द्वितीयतः यह संभव प्रतीत नहीं होता कि अकेले अभियुक्त द्वारा चलती गाड़ी में दूसरी चलती गाड़ी में बैठी परिवादी से खीचतान की गयी होगी जिसकी पुष्टि परिवादी अंजना अ०सा०१ के इन कथनों से भी होती है कि अभियुक्त के रोकने की कोशिश पर हम नहीं रुके। तृतीयतः उक्त साक्षी और उसके साथ गाड़ी में बैठे अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षी कपूरदास अ०सा०५ के कथनों में महत्वपूर्ण विरोधाभाष है जिसके अनुसार आरोपी ने उसकी गाड़ी के सामने अपनी गाड़ी खड़ी कर अंजना को जबरदस्ती गाड़ी से उतार लिया और वहीं पर गाली गलौच करने लगा। जिसके बाद उसने आरोपी को समझाइस दी। उक्त विरोधाभाषी कथनों के कारण उक्त साक्षीगण के कथनों पर विश्वास करना उचित नहीं होता। अभियोजन की उक्त साक्ष्य से कहीं भी अभियुक्त द्व

ारा परिवादी की लज्जा भंग करने का आशय दर्शित नहीं होता।

- बचाव पक्ष का यह तर्क है कि पूर्व रंजिश वश पार्षद कपूरदास ने उन्हें प्रकरण में झूठा फसाया है। यद्यपि कपूरदास अ०सा०५ ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि आरोपी दिनेश ने उसके विरूद्ध पुलिस में रिपोर्ट की थी तथापि यह संभव प्रतीत नहीं होता कि उक्त रंजिश वंश परिवादी ने अभियुक्त को झूठा फसाया होगा क्योंकि यह अविश्वसनीय है कि कोई महिला मात्र उक्त वजह से अपनी लज्जा पर मिथ्या आक्षेप का आरोप लगायेगी जबिक अन्य अपराध का आरोप लगा सकती है। परंतु वर्तमान प्रकरण में उक्त संबंध में साक्ष्य का अभाव है। जहां तक मात्र हमला या आपराधिक बल के प्रयोग का प्रश्न है, उक्त संबंध में भी अपुष्ट साक्ष्य हैं क्योंकि दोनों साक्ष्यों के कथनों में महत्वपूर्ण विरोधाभाष है। परिवादी को अश्लील शब्दो का उच्चारण कर उसे व अन्य को क्षोभ कारित करने के प्रश्न पर परिवादी अंजना अ०सा०1 का कथन है कि आरोपी उसे गंदी-गंदी गालियां दे रहा था। जबकि कपूरदास अ०सा०५ के अनुसार आरोपी अंजना अ०सा०१ से गाली गालौच कर रहा था। अभियोजन की साक्ष्य में अभियुक्त द्वारा उच्चारित शब्द दर्शित नहीं है और ना ही ऐसे कोई तथ्य दर्शित हैं कि उक्त गाली गलौच से परिवादी व अन्य को क्षोभ कारित हुआ था। अभिलेख पर ऐसे शब्दों के अभाव में उनके प्रभाव का निर्धारण नहीं किया जा सकता।
- परिवादी को हाथ मुक्कों से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित 16. करने और जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने के संबंध में साक्ष्य का पूर्णतः अभाव है। किसी भी अभियोजन साक्ष्य ने परिवादी को अभियुक्त द्वारा उपहति कारित करने के संबंध में लेशमात्र भी कथन नहीं किये हैं। परिवादी अंजना की मुलाहिजा रिपोर्ट प्र.पी.07 से भी उसे किसी प्रकार की क्षति होना दर्शित नहीं है। जान से मारने की धमकी के संबंध में मात्र परिवादी अंजना अ०सा०१ ने सूचक प्रश्न पूछे जाने पर स्वीकार किया है कि आरोपी दिनेश ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। इसके अलावा उक्त संबंध में कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है तथा घटना के तुरंत बाद रिपोर्ट करना भी दर्शित है। ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि परिवादी को अभित्रास उत्पन्न हुआ होगा। फलस्वरूप अभियोजन यह संदेह से प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी दिनेश द्वारा परिवादी अंजना को घटना के समय अश्लील शब्दों का उच्चाकरण कर उसे व अन्य को क्षोभ कारित कर उसकी लज्जा भंग करने के आशय से उसका हाथ पकडकर उसे खीचतान कर उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया तथा उसे स्वेच्छया उपहति कारित कर जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास

कारित किया।

- 17. अतः अभियुक्त दिनेश पिता बालचंद देशराज को भा.दं०सं० की धारा धारा 294, 354, 323, 506 भाग—दो, के तहत दण्डनीय अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।
- 18. अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किय जाते हैं।
- 19. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं।
- 20. आरोपी विवेचना या विचारण के दौरान अभिरक्षा में रहा है, इस संबंध में धारा 428 जा0फौ0 का प्रमाण पत्र बनाया जावे जो कि निर्णय का भाग होगा।

ALIMAN AND SUNTA

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया। मेरे उद्बोधन पर टंकित किया।

(अमनदीप सिंह छाबड़ा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर, बालाघाट (म.प्र.) (अमनदीप सिंह छाबड़ा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर, बालाघाट (म.प्र.)